अनुदान संख्या 18 - उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 18–DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–		155,28,00	117,05,96	–38,22,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				34,89,16
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	9,56,00	9,58,00	3,42,50	–6,15,50
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,84,70

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"				
सिविल पूर्ति	Civil Supplies				
मू.	O.	11362.00	8169.50	7930.27	–239.23
पु.	R.	–3192.50			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	637.00	610.44	611.77	+1.33
पु.	R.	–26.56			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	150.00	1.00	. .	–1.00
पु.	R.	–149.00			

(I) 335.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 150.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''3601'' – ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान – सिविल पूर्ति – उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत इस स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.335.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.150.00 lakhs alone accounted for under Major head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes-Civil Supplies - Strengthening of Consumer Disputes Redressal Agencies"- due to non-approval of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष ''3456'' – ''निदेशन और प्रशासन'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "3456" - "Direction and Administration" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''उपभोक्ता संरक्षण कक्ष''- 941.41 लाख रु. की बचत (7841.70 लाख रु के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक बाध्यताओं की वजह से सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Consumer Protection Cell" - saving of Rs.941.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7841.70 lakhs) was due to non-approval by competent authority owing to procedural constraints.

(खा) ''उपभोक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत परियोजनाएं''- 2298.86 लाख रु. की बचत (3150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सादगी उपायों, रिक्त पदों के न भरे जाने, भत्तों का संशोधन न किए जाने, विदेशी दौरों में कटौती किए जाने और गैर-सरकारी संगठनों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Projects under Consumer Welfare Fund"- saving of Rs.2298.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3150.00 lakhs) was due to austerity measures, non filling up of vacant posts, non revision of allowances, curtailment of foreign tours and non-receipt of viable proposals from Non-Government Organisations.

(III) मुख्य शीर्ष ''3475'' – ''बाजारों का विनियमन – वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत 134.24 लाख रु. की बचत (175.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head " 3475" - "Regulation of Markets - Strengthening of Forward Markets Commission" - saving of Rs.134.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.175.00 lakhs) was due to late approval of schemes.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 186.95 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 48 प्रतिशत तथा 97 प्रतिशत थीं।

(IV) Under two heads savings of Rs.186.95 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 48 percent and 97 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 95.00 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 413 प्रतिशत थीं।

2. The above savings were partly offset by an excess of Rs.95.00 lakhs under one head constituting 413 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ‘5475’’	Major Head “5475”				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	634.00	80.30	70.40	–9.90
पु.	R.	–553.70			

(I) 611.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 540.00 लाख रु. अकेले ‘‘सिविल पूर्ति - राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग’’ के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्राालय तथा दिल्ली राज्य कला आयोग से विलंब से स्वीकृति प्राप्त होने की वजह से शहरी विकास मंत्राालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना परिसर में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के भवन का निर्माण कार्य निष्पादित न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.611.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.540.00 lakhs alone accounted for under “Civil Supplies - National Consumer Dispute Redressal Commission” - due to non-execution of work of building for National Consumer Dispute Redressal Commission at Indian National Army Complex (INA) by the Ministry of Urban Development owing to late receipt of clearance from the Ministry of Environment and Forests and Delhi State Art Commission.